

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री रागदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 31.08.2023

रीडर/2023/4196

प्रार्थीगण

1 कौशलाराम 2 जसाराम 3 बगताराम
पिसरान गंगाराम 4 रुगनाथराम 5
रूपाराम पिसरान आसाराम 6 लुणाराम
पुत्र रूगाराम 7 बालाराम पुत्र आसाराम
8 हेमीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट
निवासी कगाऊ तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 केसीदेवी पत्नी आसुराम 2 गोकलाराम पुत्र
भीयाराम 3 तेताराम पुत्र आसुराम 4 हरचन्द्रराम
पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी मेघवालों की
ढाणी, कगाऊ 5 नगाराम पुत्र राजुराम 6 केसराराम
पुत्र राउराम 7 फुसाराम पुत्र राजुराम जाति जाट 8
देदाराम 9 रामाराम पिसरान ताजाराम जाति
मेघवाल निवासी कगाऊ 10 मोहनराम 11
डाबराराम 12 पीथाराम पिसरानल देराजराम 13
कालुराम पुत्र पीथाराम 14 पोकर पुत्र देराज 15
नरसा पुत्र भीमा जाति भील निवासी मालपुरा
तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 285/2023

दिनांक- 25.08.2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मेघवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 339/255 रकबा 15.7180 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(सिमदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक-बाड़मेर 31.08.2023

क्रमांक :- रीडर/2023/4197

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कौशलाराम पुत्र गंगाराम वगैराह जाति जाट निवासी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी केसीदेवी पत्नी आसुराम वगैराह जाति जाट निवासी मेघवालों की ढाणी, कगाऊ
तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर